भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4418
गुरूवार, 2 अप्रैल, 2026 / 12 चैत्र, 1948 (शक)

श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को बनाना

4418. #श्री नीरज डांगी:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई श्रम सहिताओं से संबंधित केंद्रीय नियमों के मसौदे के संबंध में सार्वजनिक परामर्श अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों की कुल संख्या क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्राप्त टिप्पणियों का विषय-वार संकलन तैयार किया है और उसे सार्वजनिक पटल पर रखा है;
(ग) क्या इन अभ्यावेदनों के आधार पर अंतिम नियमों में कोई परिवर्तन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रत्येक संहिता के अंतर्गत संबंधित राज्य नियमों को बनाने और अधिसूचित करने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति और सरकार द्वारा उनके सामंजस्य और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने दिनांक 21.11.2025 से चार श्रम संहिताओं, अर्थात्; वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दिया है। इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 30.12.2025 को उपरोक्त चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों का मसौदा भी पूर्व-प्रकाशित किया है। मंत्रालय ने पूरे देश में इन संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इन चारों संहिताओं के अंतर्गत अपने नियमों को अंतिम रूप देने हेतु संवेदनशील बनाने के लिए जनवरी-फरवरी, 2026 के दौरान पांच क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए हैं।

*****